

प्रेस नोट

प्रतिबन्धित चायनीज माँझा बेचने वाले 3 नफर अभियुक्त 150.6 किलोग्राम चायनीज माँझा के साथ गिरफ्तार

1. सम्बन्धित थाने का नाम- थाना चौक, जनपद वाराणसी
2. मु0अ0सं0- 0074/2021 धारा 188,269,270,291,336 भा0द0वि0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
3. घटना दिनांक: 26.08.2021 समय 19.20 बजे
4. सूचना दिनांक- 26.08.2021
5. घटना स्थल का विधिवत विवरण- CK63/59A छोटी पियरी, वाराणसी
6. सूचनाकर्ता/वादी का नाम व पता- वाराणसी।
7. गिरफ्तार अभियुक्त- 1. बच्चा उर्फ पिन्टू पुत्र राजकुमार उम्र 28 वर्ष 2. राजेश कुमार पुत्र राजकुमार उम्र 30 वर्ष 3. आजेश कुमार पुत्र राजकुमार उम्र 34 वर्ष निवासीगण CK63/59A छोटी पियरी, वाराणसी
8. गिरफ्तारी का दिनांक व समय 26.08.2021 समय 19.20 बजे
9. फरार अभियुक्तगण: NIL
10. गिरफ्तारी स्थल- CK63/59A छोटी पियरी, वाराणसी
11. माल बरामदगी का विवरण – अभियुक्तगण के कब्जे 150 किलो 600 ग्राम प्रतिबन्धित चायनीज माँझा
12. गिरफ्तारी टीम- चौकी प्रभारी पियरी उ.नि. श्रीमन नारायण पाण्डेय, चौकी प्रभारी काशीपुरा उ0नि0 स्वतन्त्र सिंह, उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 विजय कुमार सरोज, का0 संजय चौहान, का0 अमित कुमार, म0का0 रोशनी गुप्ता, थाना चौक, वाराणसी
13. घटना का विवरण- श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा चायनीज माँझा से हो रहे घटनाओं की रोकथाम हेतु व प्रतिबन्धित माँझा की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय तथा सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध महोदय व डा0 आशुतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना चौक के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.08.2021 को चौकी प्रभारी पियरी उ.नि. श्रीमन नारायण पाण्डेय मयहमराह चौकी प्रभारी काशीपुरा उ0नि0 स्वतन्त्र सिंह, उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 विजय कुमार सरोज, का0 संजय चौहान, का0 अमित कुमार, म0का0 रोशनी गुप्ता, थाना चौक, वाराणसी को जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुआ कि छोटी पियरी में प्रतिबन्धित चायनीज माँझा की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है, जिस पर उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा छोटी पियरी में राजकुमार की चाय की दुकान पर अभियुक्तगण बच्चा उर्फ पिन्टू पुत्र राजकुमार उम्र 28 वर्ष 2. राजेश कुमार पुत्र राजकुमार उम्र 30 वर्ष 3.

आजेश कुमार पुत्र राजकुमार उम्र 34 वर्ष निवासीगण CK63/59A छोटी पियरी को प्रतिबन्धित 150.6 किलोग्राम प्रतिबन्धित चायनीज माँझा के साथ समय 19.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना चौक पर मु0अ0सं0- 0074/2021 धारा 188,269,270,291,336 भा0द0वि0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

14. गिरफ्तार अभियुक्तगण का फोटो



15. अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

प्रभारी निरीक्षक
थाना चौक
कमिश्नरेट वाराणसी